शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक – 12 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 20 – 27 मार्च 2023 मूल्य पांच रूपए

क्या मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां बहाल रह पायेगी

- प्रदेश उच्च न्यायालय में आये मामले से उठा सवाल
- असम के मामले में 26 – 7 – 2017 को सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है कि राज्य विधायिका को ऐसा कानून बनाने का अधिकार ही नहीं
- असम के साथ ही हिमाचल की एसएलपी भी संलग्न थी

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार के मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती मिल गयी है। उच्च न्यायालय ने सभी छः मुख्य संसदीय सचिवों को इस मामले में प्रतिवादी बनाने के आग्रह पर नोटिस जारी कर दिये हैं। स्मरणीय है कि स्व. वीरभद्र सिंह के मुख्यमंत्री काल में इस आश्य का एक एक्ट पारित करके संसदीय सचिव नियुक्त किये गये थे। इन्हे तब Citizen Rights Protection Fourm ने प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने इन नियुक्तियों को सविधान के 91 वे संशोधन की अवहेलना करार देते हुये रद्द कर दिया था और ऐसे नियुक्त सचिवों को अपने पदों से त्यागपत्र देना पड़ा था। प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसले को एसएलपी दायर करके चुनौती दी थी। हिमाचल सरकार द्वारा एसएलपी फाइल करने के दौरान ही सर्वोच्च न्यायालय में असम का ऐसी ही नियुक्तियों का मामला पहुंच गया। सर्वोच्च न्यायालय में इसी मामले के साथ हिमाचल की एसएलपी भी संलगन हो गयी।

Writ Petition (PIL) No.30/2005 was filed on 13.04.2005 in the Hon'ble High Court of Gauhati challenging the constitutional validity of THE ACT. On 24.01.2006, the High Court of Gauhati adjourned the hearing of the said PIL in light of similar matters involving the same questions of law which had come up for hearing in this Court in SLP No. 22038 of 2005 (State of Himachal Pradesh v. Citizen Rights Protection Forum).

सर्वोच्च न्यायालय में 26 जुलाई 2017 को फैसला आ गया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि असम विधानसभा को ऐसा कानून पारित करने का अधिकार ही नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि Article 187. (1) The House or each House of the Legislature of a State shall have a separate secretarial staff: Provided that nothing in this clause shall, in the case of the Legislature of a State having a Legislative Council, be construed as preventing the creation of posts common to both Houses of such Legislature. (2) The Legislature of a State may by law regulate the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to the secretarial staff of the House or Houses of the Legislature of the State. (3) Until provision is made by the Legislature of the State under clause (2), the Governor may, after consultation with the Speaker of the Legislative Assembly or the Chairman of the Legislative Council, as the case may be, make rules regulating the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to the secretarial staff of the Assembly or the Council, and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any law made under the said clause.

37 3 offices connected with the legislature and matters incidental to them to read the authority to create new offices by legislation would be a wholly irrational way of construing the scope of Article 194 (3) and Entry 39 of List II. Such a construction would be enabling the legislature to make a law which has no rational connection with the subject matter of the entry. "The powers, privileges and immunities" contemplated by Article 194(3) and Entry 39 are those of the legislators qua legislators.

45. For the above-mentioned reasons, we are of the opinion that the Legislature of Assam lacks the competence to make the impugned Act. In view of the above conclusion, we do not see it necessary to examine the various other issues identified by us earlier in this judgment. The Writ Petition is allowed. The impugned Act is declared unconstitutional.

संविधान के जिन प्रावधानों के तहत असम विधानसभा ने संसदीय सचिवों की नियुक्तियों के लिये अपना एक्ट बनाया था स्वभाविक है कि हिमाचल विधानसभा ने भी उन्ही प्रावधानों के तहत अपना एक्ट बनाया है। ऐसे में जब असम विधानसभा को ऐसा एक्ट बनाने की शक्तियां नहीं है तो हिमाचल विधानसभा को भी नहीं हो सकती। हिमाचल की एस एल पी असम के साथ तभी सलंगन हुई थी जब दोनों मामलों में एक जैसे ही कानूनी पक्ष संबद्ध थे। ऐसे में जब असम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 26 जुलाई 2017 को असम के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया है तो अब हिमाचल उच्च न्यायालय द्वारा हिमाचल के प्रावधानों को बहाल रखने की संभावना बहुत कम है। क्योंकि जब मामला सर्वोच्च तक चला जायेगा। स्व.वीरभद्र सिंह की सरकार में जब संसदीय सचिवों को उच्च न्यायालय के आदेश पर अपने पदों से त्यागपत्र देना पड़ा था तब इसी को ध्यान में रखते हुये जयराम सरकार ने भी ऐसी नियुक्तियां करने का साहस नहीं किया था। जबकि जो कानूनी स्थिति अब है वही जयराम काल में भी थी। फिर अब तो वित्तीय स्थिति बहुत नाजुक है और स्वयं मुख्यमंत्री सक्खू यह कह चुके हैं। मुख्य संसदीय सचिवों को देर सवेर अपने पदों से जाना ही पड़ेगा। यह कानूनी स्थिति से स्पष्ट है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि जब कांग्रेस 40 सीटें जीतकर सत्ता में आ गयी थी तब उसे यह नियुक्तियां करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या पूरा विधायक दल एकजुट और एकमत होकर मुख्यमंत्री के पक्ष में नहीं था? क्योंकि मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां करना किसी भी राजनीतिक गणित में आवश्यक नहीं था। फिर मुख्य संसदीय सचिवों के बाद जो दूसरी नियुक्तियां कैबिनेट स्तर में हुई है उनको लेकर भी सवाल उठ सकता है कि क्या यह नियुक्तियां संविधान के कानून में संशोधन का उल्लंघन नहीं है। इस समय सरकार जिस तरह की वित्तीय स्थितियों से गुजर रही है और उसके संसाधन बढ़ाने के फैसलों को वांच्छित योगदान नहीं मिल रहा है इससे सरकार के हर फैसले पर आम आदमी पैनी नजर गड़ाये बैठा है। सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर प्रशासनिक रद्दोबदल से बचने का प्रयास कर रही है। लेकिन इसका परिणाम यह हो रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं तक सत्ता परिवर्तन का एहसास नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक कार्यकर्ताओं के नाम पर जितनी नियुक्तियां हुई हैं उनमें अधिकांश जिला शिमला से ही हैं। दूसरे जिलों के कार्यकर्ताओं का नाम इन सूचियों में अभी तक नहीं के बराबर है। कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष से कार्यकर्ताओं के मान सम्मान न मिलने की बात उठा चुकी है। अभी यही संदेश जा रहा है कि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए अधिकारी कांग्रेस से ज्यादा भाजपा के प्रति झुकाव रख रहे हैं। जो लोग जयराम के सलाहकार होने की भूमिका में थे वही आज सुक्खू के गिर्द भी प्रभावी नजर आ रहे हैं। यह माना जा रहा है कि यदि स्थितियों पर समय रहते नियंत्रण न पाया गया तो कभी भी बड़ा विस्फोट हो सकता है।

टीबी उन्मूलन में पंचायतें निभाएं सार्थक भूमिका:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने क्षय रोग उन्मूलन को लेकर धर्मशाला में आयोजित बहुक्षेत्रीय सहभागिता पर आधारित एक कार्यशाला की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन के प्रति हिमाचल प्रदेश में जागरूकता बढ़ी है और इससे निश्चित तौर पर राज्य वर्ष

2024 तक टीबी मुक्त बन सकता है।

उन्होंने कहा कि टीबी से जीतने के लिए केवल रोग से लड़ने और समाज को जागरुक करने की आवश्यकता है। क्षय रोग को लेकर जागरूकता के साथ, रोगियों के प्रति संवेदना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर पंचायतें अपने स्तर पर कार्य करते हुए टीबी रोगियों की पहचान कर उनका उपचार सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करें तो इसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे।

राज्यपाल ने कहा कि क्षय रोग उन्मूलन का हल हमारे पास है और वह है साहस। उन्होंने कहा कि केवल सरकारें ही सब कुछ करें, इस मानसिकता से कोई हल निकलने वाला नहीं है। सरकारें अपना प्रयास कर रही हैं और क्षय रोग पर विजय पाने के लिए सामाजिक सहभागिता भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारे देश ने कोविड जैसी महामारी पर भी विजय प्राप्त की है और इसकी तुलना में टीबी से विजय पाना कोई कठिन कार्य नहीं है।

प्रदेश में बढ़ते नशे पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ भी मिलकर लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन तथा नशा मुक्ति के लिए सामूहिक तौर पर सार्थक प्रयत्न करने की जरूरत है। उन्होंने कांगड़ा जिले में निक्षय मित्रों द्वारा क्षय रोगियों को गोद लेने के अभियान की सराहना करते हुए कहा कि निक्षय मित्र इन रोगियों को परिवार के सदस्यों की तरह समझें।

राज्यपाल ने जिला प्रशासन की ओर से टीबी रोगियों को फूड बास्केट और संवेदना किट भी वितरित की।

उन्होंने उपायुक्त कार्यालय से टीबी जागरुकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वास्थ्य विभाग की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया।

उपायुद्र डॉ. निपुण जिंदल ने जिला में टीबी रोगियों को दी जा रही उपचार सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि इस अभियान में जिला रेड क्रॉस सोसाईटी द्वारा करीब तीन हजार निक्षय किट वितरित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जिले में टीबी रोगियों के अनाथ बच्चों को 150 संवेदना किट भी वितरित की गयी हैं। इन बच्चों को भी जिला रेड क्रॉस सोसाईटी ने अपनाया है।

कार्यशाला के दौरान दो टीबी चैंपियंस ने अपने विचार और अनुभव साझा किए। उन्होंने रोगियों को पेश आ रही मुश्किलों से भी अवगत करवाया जिस पर राज्यपाल ने तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. आर. के. सूद ने टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिले में की गयी महत्वपूर्ण पहल एवं रणनीतिक योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में 311 निक्षय मित्र हैं तथा 1089 टीबी रोगियों ने निक्षय मित्र द्वारा उन्हें अपनाये जाने पर अपनी सहमति दी है।

पुलिस अधीक्षक डॉ. खुशाल शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त सौरभ जस्सल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुशील शर्मा, टांडा मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ.भानु अवस्थी, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, निक्षय मित्र तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

राहुल गांधी को सुनियोजित साजिश के तहत निशाना बनाया गया:आनंद शर्मा

शिमला/शैल। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने ओक ओवर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने आनंद शर्मा को हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देश में लोकतंत्र बचाने के लिए राहुल गांधी की निर्भीक मुहिम से केंद्र सरकार डर गयी है और राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने के निर्णय से उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों से लोगों को अवगत करवाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली। उन्होंने कहा कि देश में आने वाले चुनावों में जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। उन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों से एकजुट होने का आग्रह भी किया।

आनंद शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को संसद में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें सुनियोजित साजिश के तहत निशाना बनाया। आनंद शर्मा ने न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि निचली अदालत का निर्णय उच्च न्यायालय में नहीं टिक पाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस निर्णय के खिलाफ राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ेगी।

किसानों से व्यावसायिक फूलों की खेती अपनाने के लिए दिया प्रशिक्षण

शिमला/शैल। व्यावसायिक स्तर पर फूलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और कृषि आय में वृद्धि के लिए डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र,

धौलाकुआं ने 'वाणिज्यिक फूल और मूल्यवर्धन' पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रशिक्षण में मतर, फूलपुर, बांगरान, डोबरी सालवाला, डंडा पग्गर, जेरवा, कियारी गुडेहा, द्राबिन, गुंधन, शिलाई, 6वीं भारतीय रिजर्व बटालियन फोर्स और धौलाकुआं के आसपास के क्षेत्रों के 25 किसानों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण को उप निदेशक बागवानी, सिरमौर द्वारा पुष्प क्रांति योजना के तहत प्रायोजित किया गया था।

डॉ. प्रियंका ठाकुर ने डॉ. संजीव सान्याल के साथ प्रशिक्षण का समन्वय किया और बताया कि प्रशिक्षण में शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु के बीज उत्पादन पर ज़ोर दिया गया। प्रतिभागियों को फूल लगाने के लिए मीडिया की तैयारी, संकन बेड, पॉलीटनल, मिस्ट चैंबर, ग्लास हाउस आदि के तहत वार्षिक नर्सरी उत्पादन, पोटिंग और रिपोर्टिंग, फूलों की खेती में विभिन्न संरचनाओं और हाइड्रोपोनिक्स आदि पर प्रशिक्षित किया गया। डाहलिया, गेंदा, गुलदाउदी, कोलियस, और जेरेनियम (सॉफ्टवुड कटिंग) में वनस्पति प्रसार के साथ-साथ कट फ्लावर उत्पादन के लिए ग्लेडियोलस, जरबेरा और गुलाब और अन्य खुले फूलों की उत्पादन तकनीक के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण के दौरान फ्लोरल क्राफ्ट लैब का दौरा और पुष्प शिल्प वस्तुओं के रूप में देसी और प्राकृतिक पौधों के हिस्सों की निर्जलीकरण तकनीक, लॉन का निर्माण और प्रबंधन, हेजिंग और टोपरी बनाने, गुलदाउदी में ऑफ-सीजन फूल उत्पादन आदि पर भी प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण का उद्घाटन श्री राम कुमार गौतम, डीसी, सिरमौर द्वारा किया गया। उन्होंने किसानों से अपनी आय बढ़ाने और अपने क्षेत्रों में सभी किसानों के बीच ज्ञान का प्रसार करने के लिए व्यावसायिक फूलों की फसलों पर काम करने का आग्रह किया था। उन्होंने क्षेत्र के किसानों के लिए अनुसंधान केंद्र द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और उन्हें प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने फूलों की खेती के उद्यम को स्थापित करने के लिए करने को कहा। नौणी विवि के अनुसंधान निदेशक डॉ. संजीव कुमार चौहान ने सर्दियों के मौसम की वार्षिक खेती के बारे में बात की और किसानों से अनुरोध किया कि वे बीज उत्पादन के उद्देश्य से ऐसी फसलों को अपनाये। डॉ. सतीश शर्मा, डीडीएच सिरमौर ने खेती, सिंचाई आदि के लिए सरकार की विभिन्न वित्त पोषण योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

अंबवाला के राहुल देव सिंह चौहान (फूलों की व्यावसायिक नर्सरी में उद्यमी) और माजरा के रवि स्वरूप जैसे प्रगतिशील किसानों के खेतों का भी दौरा किया गया जहां विश्वविद्यालय द्वारा पीपीपी मोड के तहत बीज उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। प्रशिक्षण के अंतिम दिन किसान वैज्ञानिक संवाद भी आयोजित किया गया। शुभ्रा तिवारी, छठी भारतीय रिजर्व बटालियन फोर्स धौलाकुआं की कमांडेंट समापन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि रहीं और उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। डॉ. सुखदेव सिंह पल्याल, सह निदेशक, हरेक, धौलाकुआं, डॉ.नीना ठाकुर, फल प्रौद्योगिकीविद्, बागवानी विभाग, हिमाचल प्रदेश, डॉ.अमित बरव्शी, एसएमएस, बागवानी, डॉ.नेहा शर्मा, एडीओ ने भी उद्घाटन सत्र में भाग लिया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा

बांध सुरक्षा विश्लेषण एमआईएस पोर्टल को 'मान्यता पुरस्कार'

शिमला/शैल। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नई दिल्ली में आयोजित 20वें कंप्यूटर सोसाईटी ऑफ इंडिया-विशेष रुचि समूह (एसआईजी) पुरस्कार 2022 में हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन

प्राधिकरण, ऊर्जा विभाग और एनआईसी को बड़े बांध सुरक्षा विश्लेषण एमआईएस के लिए 'मान्यता पुरस्कार' प्रदान किया गया।

उन्होंने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारण ने ऊर्जा विभाग और एनआइसी के सहयोग से एक बांध सुरक्षा एवं निगरानी के लिए एक वेबपोर्टल विकसित किया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के बांधों की सुरक्षा एवं निगरानी की दृष्टि से स्थापित मानकों के बारे में सूचना प्रतिदिन तीन बार वेब पोर्टल पर अपडेट की जाती है और किसी भी घटना के मामले में तुरंत जानकारी साझा करते हैं। इस पोर्टल की सूचना के आधार पर दैनिक निगरानी करते हुए भारी बारिश, बादल फटने जैसी आपदा में सुरक्षा और पूर्व रोकथाम की दृष्टि से आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक बांध प्राधिकरण द्वारा इस वेबपोर्टल पर पूर्व जलाशय स्तर, वर्तमान स्तर, खतरे का स्तर, अंतर्वाह-बहिर्वाह, तापमान और मौसम की स्थिति जैसे विभिन्न सुरक्षा मानकों को दिन में तीन बार अपडेट किया जाता है। इसी के अनुसार संबधित विभाग को तुरंत जानकारी मिल जाती है।

उन्होंने बताया कि यह वेब पोर्टल विभिन्न बांधों के सुरक्षा पैरामीटर की निगरानी रखने में कई विभागों को एक मंच उपलब्ध करवाता है। इसके साथ ही इससे नदी घाटियों के प्रवाह और बांध सुरक्षा से जुड़ी सूचनाओं पर आधारित डाटाबेस भी तैयार होता है।

प्रधान सचिव, राजस्व ओंकार चंद शर्मा ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऊर्जा विभाग और एनआईसी के इन प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस पोर्टल से आपदा से निपटने की तैयारियों और प्रतिक्रिया में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बालिका आश्रम में मनाया अपना जन्मदिवस

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बालिका आश्रम टूटीकण्डी, शिमला में बालिकाओं के साथ अपना 59वां जन्मदिवस मनाया और उन्हें मिठाईयां बांटी। इस अवसर पर केक भी काटा गया तथा बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। ओक ओवर में जन्मदिवस के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दीं तथा उनके स्वस्थ जीवन एवं दीर्घायु की कामना की। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी एवं हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा, कमलेश ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के 6 हजार अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख – आश्रय योजना आरम्भ की है तथा विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए भी एक योजना तैयार की जा रही है, जिसे शीघ्र ही आरम्भ किया जाएगा। यह योजना ऐसे बच्चों की क्षमता विकास तथा उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण कर आजीविका अर्जित करने के उद्देश्य से बनाई जा रही है।

इससे पूर्व, विभिन्न क्षेत्रों तथा वर्गों के लोगों ने मुख्यमंत्री के निवास प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री ने देहरादून में आयोजित अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाली हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड की टीम को सम्मानित किया। उन्होंने विजेता टीम को एक लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने जागरूकता पैदल यात्रा में भी भाग लिया जिसमें सैंकड़ों स्वयंसेवकों ने भाग लिया। यह यात्रा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से सचिवालय से आरम्भ होकर ओक ओवर में सम्पन्न हुई।

मुख्यमंत्री रिज पर रक्तदान शिविर तथा गेयटी थियेटर मे सिनर्जिस्टिक यूथ एंड कल्चरल ऑर्गनाइजेशन द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल है तथा राज्य देश में मॉडल राज्य के रूप में उभर रहा है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार मादक पदार्थो के दुरूपयोग को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने जा रही है। प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र को और सुदृढ़ करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दीं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल तथा उप – मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दूरभाष पर उन्हें जन्मदिवस की बधाई दी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, मंत्रीगण, विधायकगण, विभिन्न बोर्ड तथा निगम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वरिष्ठ प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारी और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आये लोग भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने माता तारा देवी मंदिर में शीश नवाया और पूजा – अर्चना की। उन्होंने प्रदेश की उन्नति तथा खुशहाली के लिए प्रार्थना की।

शिमला इनोवेटिव अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट के वित्तपोषण में लाएं तेज़ी: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू एवं उप – मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यहां महानिदेशक, डॉ. डी.जे.पांडियन के नेतृत्व में शिमला पहुंचे न्यू डेवलपमेंट बैंक के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ विशेष बैठक की। बैठक में शिमला इनोवेटिव अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन पर चर्चा की गयी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के लिए राज्य सरकार हर संभव सहायता करेगी। उन्होंने कहा कि नवंबर, 2023 के अंत तक इस परियोजना के लिए बहुपक्षीय वित्तपोषण की मंजूरी में तेजी लायी जाये।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के पर्यावरण के अनुकूल, स्वच्छ और हरित परिवहन के लिए बड़े पैमाने पर विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इससे शहरों में वाहनों की भीड़ कम करने तथा नए क्षेत्रों से बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटन क्षमता को विकसित करने में सहायता मिलेगी।

उन्होंने कहा कि लगभग 1546. 40 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के शिमला इनोवेटिव अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट के तहत 15 स्टेशनों को जोड़ने वाला 14.13 किलोमीटर रोपवे नेटवर्क तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह शहरी रोपवे परियोजना दुनिया में अपनी तरह की दूसरी और भारत में पहली होगी। इससे शिमला शहर में वाहनों की भीड़ – भाड़ कम करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि रोप – वे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कार्पोरेशन ने इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में पर्याप्त प्रगति की है। इसका ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है तथा यातायात सर्वेक्षण 12 अप्रैल, 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रक्षा गया है। उन्होंने कहा कि जियो – टेक परीक्षण और ईएसआईए अध्ययन प्रक्रिया अभी जारी है, जिसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य 30 जून, 2023 तक पूरा होने की संभावना है।

उप – मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्तपोषित जल शक्ति विभाग की चल रही विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की।

बैठक में अध्यक्ष – सह – प्रबंध निदेशक (आरटीडीसी) संजय गुप्ता, प्रधान सचिव (परिवहन) आर.डी. नज़ीम, निदेशक (आरटीडीसी) अजय शर्मा व मुख्य महाप्रबंधक रोहित ठाकुर विशेष तौर पर उपस्थित थे।

हरित हाइड्रोजन एवं अमोनिया परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को हरित हाइड्रोजन आधारित प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने हरित हाइड्रोजन एवं अमोनिया परियोजना के लिए मैसर्ज एचएलसी ग्रीन एनर्जी एलएलसी के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की उपस्थिति में मैसर्ज एचएलसी ग्रीन एनर्जी एलएलसी की ओर से प्रबंध निदेशक संजय शर्मा और प्रदेश सरकार की ओर से उद्योग विभाग के निदेशक राकेश कुमार प्रजापति ने यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया।

इससे पहले, मैसर्ज एचएलसी ग्रीन एनर्जी एलएलसी के प्रबंध निदेशक संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री के समक्ष हरित हाइड्रोजन एवं हरित अमोनिया के उत्पादन पर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरित जलविद्युत उत्पादन के लिए विख्यात हिमाचल प्रदेश को अब इथेनॉल, हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया, सौर ऊर्जा इत्यादि नवीनतम स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर, देश में स्वच्छ ऊर्जा हब की दिशा में आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल को वर्ष 2026 तक देश का प्रथम हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए हरित ऊर्जा उत्पादन पर विशेष बल दिया जा रहा है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल को हरित हाइड्रोजन आधारित प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति बनाने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हरित हाइड्रोजन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाने, उर्वरकों की कीमतों में कमी लाने और आयात विकल्प के रूप में देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि राज्य में जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने से ऊर्जा के इस विकल्प के उत्पादन के लिए हिमाचल के पास अनुकूल परिस्थितियां हैं।

समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित होने के उपरांत, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यह कम्पनी प्रदेश में प्रतिवर्ष 0.3 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन और 1.5 मिलियन मीट्रिक टन अमोनिया उत्पादित करेगी। इसके लिए लगभग 25 एकड़ भूमि, 300 मैगावाट ऊर्जा तथा करीब 50 हजार किलोलीटर जल सुविधा की आवश्यकता होगी। जल और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत ऊना और कांगड़ा ज़िलों में यह परियोजना स्थापित की जाएगी। परियोजना से प्रदेश में 4 हजार करोड़ से अधिक का निवेश तथा 3500 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इससे क्षेत्र के कुशल कामगारों को उनके घर – द्वार के निकट रोजगार मिलेगा और यह परियोजना प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगी।

उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस परियोजना की स्थापना में कम्पनी को पूर्ण सहयोग और हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने प्रमोटर्ज़ को इस दिशा में शीघ्र विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

इस अवसर पर प्रधान सचिव, उद्योग आरडी नज़ीम, आयुर्वेद विभाग के निदेशक विनय सिंह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के प्रबंध निदेशक के सी चमन और उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक तिलक राज शर्मा उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए निजी भूमि की आवश्यकता

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार हिमाचल की विशाल ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने, विकसित करने और उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से, हिमाचल प्रदेश सरकार जल, हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा के दोहन से हरित उत्पादों पर स्विच करके देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने की ओर अग्रसर है, जो निर्यात वस्तु में मूल्य को बढ़ावा देगा। राज्य सरकार वर्तमान प्रणाली के नवीनीकरण पर जोर दे रही है और राज्य के हित में हरित ऊर्जा के दोहन पर ध्यान केंद्रित कर रही है ।

राज्य सरकार के दूरगामी विजन के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) 200 मेगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन की ओर अग्रसर है । एचपीपीसीएल ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निष्पादन के लिए पहले ही सरकारी भूमि की पहचान कर ली है। हालांकि, निजी भूमि की पहचान के लिए, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने 16.03.2023 को 400 हेक्टेयर तक की एकमुश्त खरीद या 28 साल के लिए पट्टे के लिए निजी भूमि हेतू निविदाएं आमंत्रित की है। इस भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए दी गयी भूमि की सभी आवश्यक वैधानिक मंजूरी शामिल है जिसमें 28 वर्षों के लिए खरीद या पट्टे के लिए प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 15 हेक्टेयर से कम नही होना चाहिए और किसी भी स्थान पर प्रस्तावित भूमि की न्यूनतम चौड़ाई और सामने वाला भाग 30 मीटर होना चाहिए जिसमें कम से कम जीप योग्य सड़क हो। चिन्हित की गई भूमि सौर उर्जा सयंत्र की स्थापना के लिए उपयुक्त होनी चाहिए ।

सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि की परिधि के चारों ओर चैन लिंक फेंसिंग शामिल है। इसके लिए आमंत्रित निविदा सूचना हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की वेबसाइट www.hppcl.in पर निशुल्क उपलब्ध है। विस्तृत निविदा https://www.tenderwizard.com/HPPCL पर पंजीकरण और निर्धारित लागत के भुगतान के बाद डाउनलोड की जा सकती है। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2023 रखी गयी है।

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रदेश की पहली पांच मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित कर चुका है। यह परियोजना नैना देवी के निकट बेराडोल में स्थापित है। यह परियोजना वर्ष 2019 में स्थापित की गयी और इस परियोजना से अच्छा विद्युत उत्पादन हो रहा है।

" एक नायक बनो और सदैव खुद से कहो मुझे कोई डर नहीं है जैसा मैं सोच सकता हूं वैसा जीवन में जी भी सकता हूँ।
– स्वामी विवेकानंद –

सम्पादकीय

राहुल गांधी की सजा का राजनीतिक प्रतिफल क्या होगा

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता एक मानहानि मामले में मिली दो वर्ष की सजा के परिणाम स्वरूप रद्द कर दी गयी है। गुजरात के सूरत में एक सीजेएम की अदालत का फैसला आने के बाद चौबीस घन्टे के भीतर ही इस फैसले पर अमल करते हुए लोकसभा सचिवालय ने एक विशेष अधिसूचना जारी करके राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी। लोकसभा सचिवालय का यह फैसला आने से पहले ही सीजीएम की अदालत अपने फैसले पर एक माह की रोक भी लगा चुकी थी। राहुल गांधी के खिलाफ सूरत में एक भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने 2019 में यह मामला दायर किया था। मामला दायर करने के बाद पूर्णेश ने अदालत में गुहार लगाई थी कि राहुल को हर पेशी में अदालत में हाजिर रहने के निर्देश दिये जायें। ट्रायल कोर्ट ने इस आग्रह को नहीं माना। पूर्णेश मोदी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय चले गये और ट्रायल कोर्ट की कारवाई पर स्टे की गुहार लगा दी। उच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया और मामला ठण्डे बस्ते में चला गया। अब जब अदाणी प्रकरण में पूरा परिदृश्य गरमा गया। लोकसभा में जे.पी.सी. की मांग आ गयी। राहुल के ब्रिटेन में दिये ब्यानों पर भाजपा राहुल से मांगी माफी की मांग करने लगी। राहुल संसद में ब्यान देने के स्टैंड पर आ गये। प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भाजपा नेताओं के पूर्व में दिये ब्यान चर्चा में आ गये। यह सवाल उठ गया कि देश की मानहानि विदेश में किसने की है।

इस बदले परिदृश्य में पूर्णेश मोदी पुन: उच्च न्यायालय चले गये और गुहार लगाई कि स्टे को वापस ले लिया जाये और ट्रायल कोर्ट अपनी अगली कारवाई शुरू करे। उच्च न्यायालय ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुये स्टे हटा दिया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विपुल पांचोली के स्टे वापिस लेने के बाद मामला सी.जे.एम. की अदालत पहुंच गया। एक माह में सारी कारवाई की प्रक्रिया पूरी होकर फैसला आ गया। फैसले में राहुल गांधी को दो वर्ष की सजा सुना दी गयी और मामला चर्चा में आ गया। क्योंकि इस कानून के तहत अधिकतम सजा ही दो वर्ष की है और पंचायत से लेकर संसद तक किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि की सदस्यता रद्द करने के लिए कम से कम दो वर्ष की चाहिए। यदि राहुल को दो वर्ष से कम की सजा होती तो इस पर इतना शोर ही न उठता। अब एक माह में सारा ट्रायल पूरा हो जाना और सजा भी दो वर्ष की होना जिसका सीधा प्रभाव सांसदी पर पड़ेगा। यह सब संयोगवश हो गया या कोई और कारण भी रहे होंगे यह सब भविष्य के गर्भ में छिपा है इस पर अभी कुछ कहना सही नहीं होगा।

लेकिन इस फैसले ने पूरे देश की सियासत को हिला कर रख दिया है। राहुल गांधी इस फैसले से जरा भी विचलित नहीं है यह उनकी पत्रकारवार्ता से स्पष्ट हो गया। क्योंकि राहुल गांधी के इस ब्यान पर यह मानहानि मामला हुआ उससे भी गंभीर आरोप मोदी उपनाम पर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य खुशबू सुन्दर 2018 में लगा चुकी है बल्कि यह आरोप लगाने के बाद ही वह भाजपा में शामिल हुई है। उनके ब्यान से किसी मोदी की कोई मानहानि नहीं हुई है। कांग्रेस ने खुशबू के ब्यान को मुद्दा बना लिया है। बल्कि इस फैसले के बाद भाजपा के सारे नेताओं के ब्यान एकदम नये सिरे से चर्चा में आ गये हैं। हिमाचल से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर शाहीनबाग आन्दोलन के प्रसंग में दिया ब्यान तक चर्चा का केन्द्र बन गये हैं। राहुल को लेकर आया फैसला एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। भाजपा जब इसे ओ.बी.सी. के अपमान का मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है तब उनके अपने ही नेताओं के ब्यान उस पर भारी पड़ रहे हैं। भाजपा और अदाणी के रिश्ते एक राष्ट्रीय सवाल बनता जा रहा है। अदाणी की भ्रष्टता पर प्रहार को राष्ट्र का अपमान बताना भाजपा को भारी पड़ेगा यह स्पष्ट होता जा रहा है। राहुल गांधी को उच्च न्यायालय से राहत मिलेगी ही क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय लिली थॉमस लोक प्रहरी और सुब्रमण्यम स्वामी के मामलों में जिस तरह की स्थापनाएं कर चुका है उनके मानकों पर शायद यह मामला पूरा नहीं उतरता है। ऐसे में इस फैसले के बाद राष्ट्रीय प्रश्नों पर उठने वाली बहस भाजपा और प्रधानमंत्री पर भारी पड़ेगी। वैसे यह देखना रोचक होगा कि प्रदेशों में बैठा हुआ कांग्रेस नेतृत्व किस तरह से जनता के बीच जाता है।

हैदराबाद की बेगम तैयबा को आप कितना जानते हैं?

गौतम चौधरी

समय के साथ महिलाओं ने अपने ज्ञान और आत्म-जागरूकता को समुन्नत बनाया है। साथ ही अपनी उन्नति को भी सुगम बनाया है। महिलाओं के पास आधुनिक दुनिया में अपनी आकांक्षाओं को विकसित करने और साकार करने के कई अवसर हैं। हैदराबाद की तैयबा बेगम खेड़ीव जंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत की हैं। तैयबा बेगम जैसी महिलाओं के बारे में पढ़ना और उनके बारे में जानना हर किसी को प्रेरित करता है। वह पहली मुस्लिम महिला स्नातक थीं, जिन्होंने जीवन भर सभी महिलाओं की शिक्षा के लिए दृढ़ता से लड़ाई लड़ी। उनके उत्कृष्ट जीवन की एक झलक अपने शैक्षिक अधिकारों के लिए लड़ने वाली हजारों भारतीय मुस्लिम महिलाओं को प्रेरणा दे सकती है।

तैयबा बेगम ऐसे समय में बड़ी हुईं जब शिक्षित होना महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सही माना जाता था। उन्होंने 1894 में मद्रास विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री पूरी की। ऐसा करने वाली वह पहली मुस्लिम महिला थीं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, उन्होंने ब्रह्म समाज के वार्षिक महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने अंजुमन-ए-ख्वातीन-ए-इस्लाम का नियंत्रण भी ग्रहण किया, जो उन दिनों बेगम रुकैया सखावत हुसैन द्वारा महिलाओं की शिक्षा और कौशल में सुधार करके महिलाओं के लिए मुक्त का रास्ता बन गया था। उन्होंने 1905 में एक उपन्यास 'अनवारी बेगम' भी लिखी। उपन्यास, हैदराबाद के घरों में निवास करने वाली मुस्लिम महिलाओं के जीवन पर केन्द्रित है। यह उपन्यास उन महिलाओं के सामाजिक सुधारों का समर्थन करता है और जीवंत है। तैयबा बेगम को भारतीय लोक संगीत में योगदान के लिए भी जाना जाता है।

1907 में, तैयबा बेगम ने, सरोजिनी नायडू और लेडी अमीना हैदरी जैसी महिलाओं के साथ, हैदराबाद के निजाम को हैदराबाद में महबूबिया गर्ल्स स्कूल स्थापित करने की अनुमति देने के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लेडी हैदरी के साथ कई सामाजिक परियोजनाओं में सहयोग किया। उसी दौरान उन्होंने मैडम हैदरी के साथ मिलकर लेडी हैदरी क्लब की स्थापना भी की। उन दिनों तैयबा बेगम ने एक बड़ा काम और किया। वंचितों के लिए एक पुस्तकालय और एक स्कूल प्रारंभ कर दिया। उन्होंने हैदराबाद में महिलाओं के लिए जिन आठ स्कूलों की स्थापना की उनमें से दो आज भी बेहद महत्वपूर्ण विद्यालयों में से है। तैयबा बेगम एक ऐसी उदाहरण हैं, जिससे आज की महिलाएं कुछ सीख सकती हैं। उनके नक्शेकदम पर चलते हुए आज की महिलाओं को खुद को सशक्त बनाना चाहिए।

भारत सरकार भी महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। इसके अलावा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद -16 महिलाओं को समान अवसर की गारंटी देता है। महिलाओं के उन्नयन की कोई सीमा नहीं है। जीतने के लिए उनके पास पूरा आकाश है और हारने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए केवल मुस्लिम महिलाओं को ही नहीं अन्य महिलाओं को भी अपने स्वयं के लिए अपना रास्ता चुनना चाहिए। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि पुरूष प्रधान समाज महिलओं के लिए आज भी अवसर छोड़ने को राजी नहीं है लेकिन संघर्ष से ही सब कुछ प्राप्त होता है। भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं, जब महिलाओं ने मिसाल प्रस्तुत की है।

आप यदि पूरे सल्तनत काल को देखें तो बेगम रजिया सुल्तान का शासन काल बेहद लोकप्रिय था। लखनऊ की बेगम हजरत महल ने फिरंगियों के खिलाफ संघर्ष की मिसाल कायम की। महिलाओं के विकास की कोई सीमा तय नहीं की जा सकती है। अगर तैयबा बेगम गर्भवती होते हुए बाढ़ पीड़ितों की मदद कर सकती हैं तो फिर आज की महिलाएं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। वर्तमान समय देश के संक्रमण का हैं। देश दुनिया के सामने ताकतबर बन कर उभर रहा है। कई दिशाओं में विकास अपने गति को बनाए हुए है। यह सही वक्त है। इस समय मुस्लिम महिलाओं के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करने का है।

टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए एकीकृत रणनीति

शिमला। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए एकीकृत रणनीति की घोषणा की और कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जिसने विश्व को कोविड के विरुद्ध पहला डीएनए टीका दिया, वह अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 2025 तक ' टीबी मुक्त भारत ' की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए टीबी रोग के उन्मूलन के खिलाफ इस एकीकृत समग्र स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अब आगे बढ़ने जा रहा है।

24 मार्च को वाराणसी में एक विश्व टीबी शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के आहवान से प्रेरित होकर,डॉ. जितेन्द्र सिंह ने टीबी से पीड़ित रोगियों से अलग किए गए माइकोबैक्टीरियम टयूबरक्लोसिस (एमटीबी) के 182 उपभेदों के सम्पूर्ण जीनोम सिक्वेंसिंग के सफल समापन के साथ ही भारतीय क्षय रोग जीनोमिक सर्विलांस कंसोर्टियम (आईएनटीजीएस) के पायलट चरण की शुरुआत और डीबीटी-इनस्टेम, बेंगलुरु में एक नई ब्लड बैग तकनीक के विकास की घोषणा की। टीबी के परिणामों में सुधार के लिए (क) टीबी रोगी के जीवन की गुणवत्ता (क्वालिटी ऑफ़ लाइफ-क्यूओएल) में सुधार के लिए आयुष हस्तक्षेप, और (ख) जीनोमिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के माध्यम से संग्रहित रक्त की गुणवत्ता और शेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए अनूठी रक्त बैग प्रौद्योगिकी से दवा प्रतिरोध के मानचित्रण एवं संग्रहित रक्त गुणवत्ता और शेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए अनूठी रक्त बैग प्रौद्योगिकी जैसी नई पहलों पर प्रस्तुतिकरण किए गए थे।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि टीबी रोग के कारण पड़ने वाले गहरे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार ने 2025 तक 'टीबी मुक्त भारत' के लिए उच्च प्राथमिकता दी है। जैव प्रौद्योगिकी टीबी के उन्मूलन के विरुद्ध एकीकृत समग्र स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण में एक बड़ी भूमिका निभाने जा रही है। टीबी उन्मूलन के लिए डेटा-संचालित अनुसंधान-जैव प्रौद्योगिकी विभाग के एक व्यापक कार्यक्रम 'डेयर 2 इरैड टीबी' को 2022 में विश्व टीबी दिवस पर प्रारम्भ किया गया था। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच एक संयुक्त पहल है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) तथा अन्य अनुसन्धान एवं विकास संस्थान इस समूह का एक अंग हैं और इसका उद्देश्य टीबी के 32500 उपभेदों का संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण (डब्ल्यूजीएस) करना है ।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. राजेश एस. गोखले ने कहा कि आईएनटीजीएस को अत्यधिक सफल भारतीय एसएआरएस-सीओवी-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (आईएनएसएसीओजी) के समान ही तैयार किया गया है ।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह माइकोबैक्टीरियम टयूबरकुलोसिस (एमटीबी) की जैविक विशेषताओं और संचरण, उपचार और रोग की गंभीरता पर म्यूटेशन के प्रभाव को पूरी तरह से समझने के लिए इस तरह की पहली अखिल भारतीय पहल होगी। उन्होंने कहा कि यह कदम भविष्य में टीबी के निदान और निगरानी के लिए डब्ल्यूजीएस जैसी आधुनिक तकनीक के उपयोग की नींव बन सकता है ।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि टीबी के उपचार (एंटी टीबी थेरेपी-एटीटी) के सहायक के रूप में आयुर्वेद हस्तक्षेप पर उच्च प्रभाव अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार, कैशेक्सिया के प्रबंधन, एटीटी और हेपेटो हेतु सुरक्षा के लिए जैव-संवर्धन के उद्देश्य आयुष मंत्रालय और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत योजना बनाई जा रही है।

उन्होंने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान, स्टेम सेल साइंस एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन संस्थान (डीबीटी-इनस्टेम) में वैज्ञानिकों द्वारा एक अनूठे भारतीय रक्त बैग (ब्लड बैग) प्रौद्योगिकी के विकास की घोषणा की। यह नैनोफाइबर शीट पर आधारित है जो रक्त से हानि पहुंचाने वाले घटकों को पकड़ सकता है ताकि संग्रहीत रक्त की गुणवत्ता और जीवनकाल को बढ़ाया जा सके और एक स्पिन- ऑफ स्टार्टअप कंपनी कैप्चर बायो प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से इस तकनीक का व्यावसायीकरण करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

2020-2040 के बीच वैश्विक ऊर्जा मांग वृद्धि में भारत की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी

– हरदीप एस पुरी –
पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री

बीपी ऊर्जा के पूर्वानुमानों और आईईए अनुमानों के अनुसार, बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में(भारत की, 2020 – 2040 के बीच वैश्विक ऊर्जा मांग वृद्धि में हिस्सेदारी लगभग 25 प्रतिशत होगी।

यह अपरिहार्य है कि हम अपनी बड़ी आबादी के लिए ऊर्जा तक पहुंच, उपलब्धता और इसे किफायती बनाये रखना सुनिश्चित करें। यह हमारी स्थिति को अद्वितीय बनाता है और इसी बात पर हमारी ऊर्जा रणनीति भी आधारित है, जिसे अब दुनिया भर में व्यावहारिक और संतुलित माना जाता है।

भारत ऐसा करने में कैसे सफल रहा है?

यू.एस., कनाडा, स्पेन और यूके में पेट्रोल व डीजल की कीमतें 35 – 40 प्रतिशत तक बढ़ गई, लेकिन कच्चे तेल की अपनी आवश्यकताओं का 85 प्रतिशत तथा प्राकृतिक गैस की अपनी आवश्यकताओं का 55 प्रतिशत से अधिक आयात करने के बावजूद, भारत में डीजल की कीमतों में पिछले 1 साल में कमी दर्ज की गयी है। जब हमारे पड़ोस के कई देशों में मांग को प्रबंधित करने के लिए बिजली कटौती हो रही थी तथा पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत थी, तो भारत में, यहां तक कि बाढ़ व प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति में भी, कहीं भी ईंधन की कोई कमी नहीं थी।

यह हमारे नागरिकों के लिए ऊर्जा न्याय सुनिश्चित करने के प्रति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विज़न के कारण संभव हुआ है। केंद्र और कई बीजेपी शासित राज्यों ने उत्पाद शुल्क और वैट दरों में दो बार भारी कटौती की घोषणा की। अच्छे कॉर्पोरेट नागरिक होने का परिचय देते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने भारी नुकसान को सहन किया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का भार भारतीय उपभोक्ताओं पर न पड़े। हमारे सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा घरेलू गैस के अपने खुद के उपयोग को कम करने की कीमत पर भी, शहरी गैस वितरण क्षेत्र के लिए सब्सिडी वाली एपीएम गैस की आपूर्ति में भारी वृद्धि की गयी। घरेलू उपभोक्ताओं को नज़रअंदाज कर रिफाइनरों और उत्पादकों द्वारा मुनाफा कमाने से रोकने के लिए(पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर निर्यात उपकर और घरेलू उत्पादित पेट्रोलियम उत्पादों पर विंडफॉल टैक्स लगाया गया।

इन वर्षों में, भारत ने कच्चे तेल के आपूर्तिकर्ताओं के अपने नेटवर्क का विस्तार किया है, जिसमें अब 39 देश शामिल हैं, जो पहले 27 देशों तक सीमित था। भारत ने कच्चे तेल की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका (पिछले 4 वर्षों में ऊर्जा व्यापार 13 गुना बढ़ गया है) और रूस जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत किया है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े आयातक के रूप में इस रणनीतिक बाजार कार्ड ने न केवल भारतीय उपभोक्ताओं के लिए किफायती ऊर्जा सुनिश्चित की, बल्कि वैश्विक पेट्रोलियम बाजारों पर भी शांतिपूर्ण प्रभाव डाला।

जिस तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वह यह है कि भारत द्वारा कुछ देशों से पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद ने वास्तव में, लगभग 98 – 100 मिलियन बैरल/दिन की वैश्विक मांग और आपूर्ति को संतुलित रखा है, जिससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला के लिए तेल की कीमतों को नियंत्रण में रखना संभव हुआ है। अगर ऐसा नहीं किया गया होता, तो वैश्विक कीमतें 300 डॉलर/बैरल तक पहुंच गयी होती!

हम पारंपरिक ईंधन अन्वेषण और ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन, दोनों पर काम कर रहे हैं। भारत को एक आकर्षक ई एंड पी केंद्र बनाने के लिए हमारे सुधार(परामर्श प्रदाता कंपनी वुड मैकेंज़ी की रिपोर्ट में परिलक्षित होते हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत 2023 का लाइसेंसिंग वाइल्डकार्ड हो सकता है। भारत, 2025 तक, अन्वेषण के तहत अपने शुद्ध भौगोलिक क्षेत्र को 8 प्रतिशत) (0.25 मिलियन वर्ग किमी) से बढ़ाकर 15 प्रतिशत (0. 5 मिलियन वर्ग किमी) तक करना चाहता है और हमारे विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में निषि)/इस्तेमाल नहीं वाले क्षेत्रों को 99 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है, जिससे अन्वेषण के लिए लगभग 1 मिलियन वर्ग किमी अतिरिक्त क्षेत्र की उपलब्धता सुनिश्चित हुयी है।

जैसा मोदी जी ने ग्लासगो में वक्तव्य दिया था, हम अपने जलवायु स्रोतों के परिवर्तन से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को लेकर दृढ़ हैं – जिसमें 2070 तक उत्सर्जन में नेट – जीरो का लक्ष्य हासिल करना और 2030 के अंत तक उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करना शामिल है।

जीवन स्तर के बेहतर होने और तेजी से शहरीकरण के अनुरूप, हम अपने पेट्रोकेमिकल उत्पादन का भी तेजी से विस्तार कर रहे हैं। भारत पेट्रोलियम उत्पादों का एक वैश्विक निर्यातक है और इसकी रिफाइनिंग क्षमता संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया में चौथी सबसे बड़ी है। 2040 तक इस क्षमता को 450 एमएमटी तक बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। रिफाइनिंग क्षमता विस्तार भी, अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में पिछले वर्ष हुए उतार – चढ़ाव के दौरान, ईंधन की कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक था।

भारत 2030 तक गैस की हिस्सेदारी मौजूदा 6.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करके गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के अपने प्रयासों में भी तेजी ला रहा है। भारत ने पिछले नौ वर्षों में 9. 5 करोड़ से अधिक परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन की सुविधा वाले परिवारों में शामिल किया है। पीएनजी कनेक्शन 2014 के 22.28 लाख से बढ़कर 2023 में 1 करोड़ से अधिक हो गए हैं। भारत में सीएनजी स्टेशनों की संख्या 2014 के 938 से बढ़कर 2023 में 4900 हो गयी है। भारत ने अपने गैस पाइपलाइन नेटवर्क की लंबाई, 2014 के 14,700 किलोमीटर से 2023 में 22,000 किलोमीटर तक बढ़ा दी है।

हाल ही में समाप्त हुए भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 में, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ई20, यानि 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित गैसोलीन लॉन्च किया गया। इसके साथ, भारत ने अपनी जैव ईंधन क्रांति में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसे 15 शहरों में शुरू करके, अगले दो वर्षों में पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा। भारत का इथेनॉल मिश्रित गैसोलीन 2013 – 14 के 1.53 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 10.17 प्रतिशत हो गया है। अब भारत पांच, दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल भी स्थापित कर रहा है, जो कृषि अपशिष्ट को जैव ईंधन में परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे पराली जलाने के कारण प्रदूषण कम होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

देश में संपूर्ण हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम विकसित करने के लिए 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है, जो 4 मीट्रिक टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन की दिशा में भारत के प्रयासों में तेजी लाएगा और 2030 तक संचयी जीवाश्म ईंधन आयात में 1 लाख करोड़ रुपये तक की बचत करेगा। भारत 2030 तक हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम विकसित करने के क्रम में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए तैयार है।

अपनी ऊर्जा रणनीति की तरह, हम भारत के भविष्य के परिवहन क्षेत्र को बदलने के लिए एक एकीकृत मार्ग अपना रहे हैं। इसलिए, हरित हाइड्रोजन और जैव ईंधन के साथ, भारत ने 50 गीगावाट घंटे के उन्नत रसायन सेल बनाने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को समर्थन दिया जा रहा है। इस क्षेत्र के लिए व्यावहारिक अंतर वित्तपोषण और सीमा शुल्क छूट की भी घोषणा की गयी है। हमने, मई 2024 तक 22,000 रिटेल आउटलेट्स पर वैकल्पिक ईंधन स्टेशनों (ईवी चार्जिंग/ सीएनजी/ एलपीजी/एलएनजी /सीबीजी आदि) की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है।

हम अपने अमृत काल के लक्ष्य, 2047 तक 26 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विज़न के अनुरूप ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक अद्वितीय रणनीति लागू कर रहे हैं।

सड़कें हिमाचल की जीवनरेखा, नये प्रोजेक्टों की जल्द मंजूरी के लिए आशान्वित:अनुराग ठाकुर

शिमला। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल व युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल के सांसदों किशन कपूर, सुरेश कश्यप, इंदू गोस्वामी व सिकंदर कुमार व पूर्व मंत्री वीरेंद्र कँवर ने सड़क परिवहन

मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर नये प्रोजेक्टों के जल्द मंजूरी की माँग जिसमें 900 करोड़ की लागत से लठियाणी – मंदली ब्रिज की माँग प्रमुखता से की व सड़कों के रूप में पुरानी सभी सौग़ातों के लिए उनका आभार प्रकट किया।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा सीमित रेल और हवाई कनेक्टिविटी वाले हमारे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए सड़कें जीवन रेखा का काम करती हैं। औद्योगिक व विकास की अन्य परियोजनाओं को गति देने, पर्यटन व राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए सड़क सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी के दृष्टिगत आज हिमाचल के शिमला से सांसद सुरेश कश्यप काँगड़ा – चंबा से सांसद किशन कपूर राज्यसभा सांसद इंदू गोस्वामी व डॉ सिकंदर कुमार पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाक़ात कर नये प्रोजेक्टों की जल्द मंजूरी की माँग उनके सामने रखी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रीनितिन गडकरी ने हमारी माँगों को गंभीरता से सुना व हिमाचल के हित में इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लेने का हमें आश्वासन दिया है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा ''मेरे संसदीय क्षेत्र के कुटलैहड़ विधानसभा में एनएच 503 ए पर 36/0 किलोमीटर से लेकर 42/0 पर बिहडू से लठियाणी के बीच में बनने वाले मिसिंग लिंक व गोविंदसागर झील पर लठियाणी – मंदली ब्रिज लागत लगभग 900 करोड़ के निर्माण की मंजूरी, ज़िला काँगड़ा में 0/0 से 15/600 रक्कड़ – चपलाह – अपर भरोली – टिक्कर – शांतला रोड पर सुधार कार्यों के लिए 12.91 करोड़ रुपये की मंजूरी लिए अनुरोध किया। साथ ही साथ मतौर – हमीरपुर शिमला के लिए फ़ोरलेन हाईवे की माँग, पठानकोट – मंडी हाईवे जिसे परौर तक फ़ोरलेन किया जा रहा उसे पूरा मंडी तक फ़ोरलेन करने की माँग व नाहन बाइपास की माँग की। जहाँ इन सड़कों की मंजूरी से यातायात की सुविधा मिलेगी वहीं दूसरी तरफ़ किसानों को, फ़ौजियों को, पर्यटकों को इसका लाभ मिलेगा। नितिन गडकरी जी ने सभी पहलुओं को पूरे ध्यान से सुना व इसके उचित क्रियान्वयन की बात कही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को सदैव अपना दूसरा घर माना है और हिमाचल को सौग़ातें देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पूर्व में भी मोदी सरकार ने किरतपुर – नेरचौक हाईवे, परवाणु – शिमला हाईवे, धर्मशाला – मटौर – शिमला हाईवे, मुकेरियां – पठानकोट, जीरकपुर – परवाणु, तकरोली – कुल्लू , परवाणु – सोलन – शिमला जैसी परियोजनाएँ देकर हिमाचल में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने का कार्य किया है, आगे भी प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जायेगी।

जल के उपयोग में अपने व्यवहार में लाएं आवश्यक बदलाव: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। विश्व जल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जल के महत्व के दृष्टिगत जल संरक्षण के महत्व को समझने तथा इस बारे में सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विश्व जल दिवस के अवसर पर सभी लोगों को जल और स्वच्छता संकट के समाधान की दिशा में कार्य करने की भी आवश्यकता है। इस वर्ष के विश्व जल दिवस का विषय 'एक्सलरेटिंग चेंज' रखा गया है।

उन्होंने जल के उपयोग और प्रबंधन के हमारे प्रतिदिन के तौर-तरीकों में बदलाव का आहवान करते हुए कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक 40 प्रतिशत जनसंख्या को पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में हमें जल की प्रत्येक बूंद बचानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों, कम या असमय बारिश और हिमपात के परिणामस्वरूप प्राकृतिक जलस्रोत सूख रहे हैं जो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इन महत्वपूर्ण जल संसाधनों के संरक्षण के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी नदियों का जल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए हमें 'हरित उपाय' अपनाने पर विशेष बल देना होगा ताकि हिमालय के ग्लेशियर और पारिस्थितिकी तंत्र पर ग्लोबल वार्मिंग का कम से कम प्रभाव पड़े।

उन्होंने जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली को गति प्रदान करने के लिए आधुनिक तकनीक और बदलाव को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यूवी तकनीक के माध्यम से लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना बना रही है। राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल को 'हरित ऊर्जा राज्य' बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हरित हाइड्रोजन से संबंधित एक महत्वपूर्ण समझौता शीघ्र ही होने जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सशक्त

हिमाचल बनाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन और कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को फिर से आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए नियमों इत्यादि में आवश्यकतानुसार बदलाव की भी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आगामी दस वर्षों में हिमाचल विकसित और आर्थिकी रूप से आत्मनिर्भर राज्य बनकर उभरेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व जल दिवस पर वर्ष 2023 की विषय वस्तु 'जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाने' में निहित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें सामूहिक रूप से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों को जीवन में जल के उपयोग एवं प्रबंधन के उचित तरीकों के बारे में समझाना होगा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर नौ जिलों की 50 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। इन ग्राम पंचायतों ने विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन, रखरखाव एवं वितरण के संबंध में जल शक्ति विभाग के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं।

उन्होंने ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के साथ बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के लिए प्रदेश के खंड स्रोत समन्वयकों, जिला ऊना की अंबेदिका शर्मा, रेनू बाला, पूनम सैनी, राजिंदर कौर, प्रदीप कुमार, जिला शिमला के जगदीश चंदी व जोगिंदर सिंह, जिला किन्नौर की चित्र रेखा को भी सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जल एवं इसके माध्यम से प्रकृति के संरक्षण में योगदान देने की शपथ भी दिलाई।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पेयजल के सीमित स्रोत हैं और सभी की सामूहिक भागीदारी से जल संरक्षण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जल संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा जल जीवन मिशन पर लगभग 5500 करोड़ रुपये व्यय करने के बावजूद दूरदराज क्षेत्रों में लोगों के घरों तक पेयजल की सुविधा नहीं मिल पायी।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने राजस्व में वृद्धि के दृष्टिगत जल-उपकर लगाया है और यह उपकर लगाने के लिए राज्य कानूनी रूप से सक्षम है। उन्होंने कहा कि इससे संसाधन जुटाने में काफी मदद मिलेगी और लोगों के कल्याण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आने के बावजूद अभी तक राज्य बीबीएमबी की परियोजनाओं में अपने अधिकारों से वंचित है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी वार्ता के माध्यम से इस मामले के समाधान के पक्ष में हैं।

जल शक्ति विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और विश्व जल दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्य अभियंता एवं निदेशक जोगिंदर सिंह चौहान ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, जल शक्ति विभाग के अधिकारी और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

बागवानों के हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व: बागवानी मंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार सेब उत्पादन एवं इससे जुड़े उद्योग के विकास के लिए सेब उत्पादकों, आढ़तियों, शीत भंडारण मालिकों तथा

अन्य हितधारकों के सभी सुझावों पर चर्चा कर आवश्यक कदम उठाएगी। आगामी सेब सीजन को ध्यान में रखते हुए सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए जाएंगे। राज्य सरकार ने सभी सुझाव सुनने की पहल की और अब एक्शन से परिणाम लायेगी।

यह जानकारी बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रदेश के सेब उत्पादकों, आढ़तियों, शीत भंडारण मालिकों तथा अन्य हितधारकों के साथ आयोजित बैठक के दौरान दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीत सरकार सदैव प्रदेश के किसानों व बागवानों के हितों के लिए कार्य करती आ रही है तथा भविष्य में भी बागवानों के हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व रहेगा। हमने सेब उद्योग के सभी हितधारकों के मुद्दों, समस्याओं व सुझावों को धैर्यपूर्वक सुना है। सरकार ने सभी को अपना पक्ष रखने का उचित मौका दिया है। अब हम आवश्यक निर्णय लेकर सभी लोगों को लाभ प्रदान करने का प्रयास करेंगे।

बैठक के दौरान पैकिंग मानकों के कार्यान्वयन, सेब व्यापार, परिवहन, सेब उत्पाद के किराए, सब्जी मंडियों के बाहर व्यापार, यूनिवर्सल कार्टन, किलो के हिसाब से सेब खरीद, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, ब्रांडेड कीटनाशकों की उपलब्धता और विशेष जांच दल पर चर्चा की गयी। इसके अतिरिक्त पैकिंग मानकों से पूर्व किए जाने वाले कार्य, सेब व्यापार के लिए लाइसेंस प्राधिकरण तथा पैकेजिंग मानकों के कार्यान्वयन में कृषि उत्पाद एवं विपणन सीमित अधिनियम की भूमिका पर भी विस्तृत चर्चा की गयी।

इस अवसर पर विधायक रवि ठाकुर, पूर्व विधायक राकेश सिंघा, सचिव बागवानी अमिताभ अवस्थी, सचिव कृषि राकेश कंवर, विभिन्न किसान व बागवान, आढ़ती तथा सेब उद्योग से जुड़े अन्य हितधारक संगठनों के प्रतिनिधि और बागवानी विभाग, हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद एवं विपणन सीमित, कृषि उत्पाद एवं विपणन सीमित के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे।

नशीले पदार्थों के तस्करों की संपत्ति जब्त की जाएगी:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में नशे की समस्या से निपटने के लिए पुलिस, गृह और विधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध सख्त कारवाई

करने के लिए कानून में आवश्यक संशोधन कर दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के दृष्टिगत नशे की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने और माफिया के खिलाफ कड़ी कारवाई करने के लिए विशेष कार्य बल (स्पेशल टास्क फोर्स) का भी गठन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि नशे की बुराई पर रोक तथा नशीले पदार्थों के कारोबार पर निगरानी के लिए प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्ज एंड साइकोट्रोपिक सबस्टान्सिज एक्ट के अंतर्गत एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के आदी लोगों की मदद करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए राज्य में एक आधुनिक नशामुक्ति केंद्र और पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। इन केंद्रों के माध्यम से उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह केन्द्र कुशल सहायक कर्मचारियों के साथ आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे।

उन्होंने कहा कि नशे की बुराई समाज के समक्ष एक बड़ी चुनौती है और दोषियों को शीघ्र पकड़ कर उनके विरुद्ध कानून के तहत त्वरित आधार पर मामला दर्ज करना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने तथा खुफिया सूचनाओं को साझा करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से एक प्रभावी तंत्र विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे और केंद्रीय कानून में आवश्यक संशोधन का भी आग्रह किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने नशीले पदार्थों के सेवन पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इनके दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए और सीमावर्ती क्षेत्रों में इस समस्या से निपटने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को इस बुराई पर अंकुश लगाने और युवा पीढ़ी को ड्रग माफिया से बचाने के लिए उचित उपाय करने के भी निर्देश दिए।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, मुख्यमंत्री से ओएसडी गोपाल शर्मा, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, विधि सचिव शरद कुमार लगवाल और पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

सचिवालय में ई-ऑफिस प्रणाली के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिमला के अधिकारियों और कर्मचारियों को 17 मार्च से 25 मार्च, 2023 तक सात सत्रों में ई-ऑफिस प्रणाली में कार्य करने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी अभिषेक जैन ने सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि लगभग 700 लोगों को यह पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और शेष को शीघ्र ही प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक जुलाई, 2023 तक हिमाचल प्रदेश सचिवालय में पूर्ण रूप से ई-ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित करने की घोषणा की थी।

अभिषेक जैन ने सचिवालय के कर्मचारियों को ई-ऑफिस प्रणाली में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इससे न केवल कार्य करने में सुगमता आयेगी बल्कि डिजीडाइजड रिकार्ड को सुरक्षित करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ई-ऑफिस में कार्य करने के निर्देश भी दिए।

निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी मुकेश रेपस्वाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय में ई-ऑफिस कार्यान्वित करने के लिए सचिवालय प्रशासन विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तकनीकी व अन्य सहायता उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुधार विभाग ने भी ऑफिस मैनुअल को संशोधित करने के लिए कार्य आरम्भ कर दिया है ताकि इस सम्बंध में आवश्यक प्रावधान किए जा सकें।

हिमाचल प्रदेश ने एएफडी के साथ 817.12 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने राज्य के पांच शहरों में पेयजल और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए फ्रांसीसी विकास एजेंसी 'एजेंस

फैंकेंज डी. डेवलपमेंट' (एएफडी) के साथ 817.12 करोड़ रुपये की परियोजना के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की उपस्थिति में प्रदेश सरकार की ओर से जल शक्ति विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी व एएफडी की ओर से कंट्री निदेशक ब्रूनो बोस्ले ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के पांच शहरों मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग में बेहतर मलनिकासी सुविधाएं विकसित करना और मनाली व पालमपुर में पेयजल आपूर्ति में सुधार करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत 612 करोड़ रुपये एएफडी द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जबकि राज्य सरकार 204.85 करोड़ रुपये व्यय करेगी। परियोजना के अंतर्गत इन पांच शहरों के लाभार्थियों को हाउस सर्विस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे और मलनिकासी संयंत्रों को अत्याधुनिक तकनीकों के साथ डिजाइन किया जाएगा, ताकि कृषि और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए अपशिष्ट का पुन: उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि परियोजना का उद्देश्य जलस्रोतों की पर्यावरणीय स्थिति में सुधार करना, जलजनित रोगों को कम करना, स्थानीय नियमों और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम परंपराओं के अनुसार गुणवत्तापूर्ण स्वच्छता सुविधाओं का प्रबंधन करना और पेयजल और स्वच्छता क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता लाना है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह परियोजना दो चरणों में लागू की जाएगी, जिसमें पहले चरण में 425.85 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसमें से एएफडी द्वारा 340 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 371 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें से 272 करोड़ रुपये एएफडी द्वारा प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि परियोजना की कार्यान्वयन अवधि तीन वर्ष होगी और चरण-1 के शुरू होने के 18 महीने बाद चरण-2 शुरू होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को बेहतर स्वच्छता सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और यह परियोजना इस लक्ष्य को हासिल करने में मील का पत्थर साबित होगी।

मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक आशीष बुटेल, अजय सोलंकी, भुवनेश्वर गौड़, एएफडी के प्रतिनिधि अंकित तुलस्यान और अक्षिता शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्य सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री को दी बधाई

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आनी विधानसभा क्षेत्र से पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ बड़ी संख्या में यहां पहुंचे लोगों ने मुख्यमंत्री ठाकुर

सुखविंदर सिंह सुक्खू को बधाई दी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस छोटी सी अवधि में प्रदेश की उन्नति के दृष्टिगत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने पहले हरित बजट में प्रदेश के समावेशी विकास के साथ ही सभी वर्गों को ध्यान में रखकर योजनाएं घोषित की हैं जिनके सकारात्मक परिणाम आगामी कुछ वर्षों में दृष्टिगोचर होंगे। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि वर्तमान प्रदेश सरकार आनी क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों को और गति प्रदान करेगी तथा वे शीघ्र ही इस विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे।

सड़क सुरक्षा की दिशा में लंबी दूरी तय करने की जरूरत:विक्रमादित्य सिंह

शिमला/शैल। विक्रमादित्य सिंह ने विधान सभा के सभागार में पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग और विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ सड़क सुरक्षा पर एक बैठक की अध्यक्षता की। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने गहन विश्लेषण के न्यूयार्क पुलिस डिपार्टमैन्ट (एन.बाई.पी.डी.) मॉडल के आधार पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

उन्होंने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस की सराहना की, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2017 से 2022 तक सड़क यातायात दुर्घटनाएं (आर.टी.ए.) 3114 से घटकर 2597, मृत्यु दर 1203 से घटकर 1032 और घायलों की संख्या 5452 से घटकर 4133 रह गई।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन साथ ही हमें सड़क सुरक्षा की दिशा में लंबी दूरी तय करने की जरूरत है। जनसंख्या और वाहन संख्या दोनों के मामले में हमारी सड़क सुरक्षा राष्ट्रीय औसत से कम है। राष्ट्रीय औसत 29. 30 आर.टी.ए. प्रति लाख जनसंख्या के मुकाबले हिमाचल प्रदेश में 31.54 की उच्च दर थी। इसी प्रकार प्रति लाख जनसंख्या पर आर.टी.ए. में होने वाली मौतों के लिए हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय औसत 10.93 की तुलना में 13.77 की उच्च दर थी। वाहनों के संदर्भ में, भारत के लिए प्रति दस हजार वाहनों पर आर.टी.ए. 15.10 था जबकि एच.पी. की दर 17.37 थी। प्रति दस हजार वाहनों पर आर.टी.ए. में मौतों के लिए, राष्ट्रीय औसत 5.08 के मुकाबले, एच. पी. का औसत 6.93 था। गहन विश्लेषण के एन.बाई.पी.डी. मॉडल से पता चलता है कि घातक घटनाओं में से 23 प्रतिशत आमने-सामने की टक्कर के कारण, 22 प्रतिशत रन ऑफ रोड और 19 प्रतिशत पैदल चलने वालों की टक्कर के कारण होते हैं। मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को विशेष रूप से मैदानी क्षेत्रों में पैदल चलने वालों के बुनियादी ढांचे (पैदल यात्री हिट को रोकने के लिए), पहाड़ी क्षेत्रों में क्रैश-बैरियर (रन-ऑफ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए) और टकराव को रोकने

के लिए ब्लैक स्पाट हटाने का निर्देश दिया।

उन्होने कहा कि पहला उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के सड़क सुरक्षा मानदंडों को राष्ट्रीय औसत से नीचे लाना है। दूसरा, वर्ष 2030 तक आर.टी.ए. और मौतों को 50 प्रतिशत तक कम करना, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) के हिस्से के रूप में घोषित किया गया है।

उन्होंने सुरक्षित सड़कों के निर्माण, बेहतर प्रवर्तन, पुलिस और सामुदायिक भागीदारी को बेहतर संसाधन और गतिशीलता प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। मंत्री ने पुलिस विभाग को पर्याप्त धन और संसाधन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

विक्रमादित्य सिंह ने समुदाय आधारित प्रयासों को प्रोत्साहित करने और सड़क सुरक्षा के लिए समुदाय को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर पी.डब्ल्यू.डी. की उपस्थिति का आश्वासन दिया। उन्होने ने संबंधित विभागों को प्रगति की निगरानी और समीक्षा के लिए समय सीमा बनाने की सलाह दी।

मुख्यमंत्री ने विश्व वानिकी दिवस पर 'हटेगी फुलणू, लौटेगी चरागाह' अभियान का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर 'हटेगी फुलणू, लौटेगी चरागाह' अभियान का शुभारम्भ किया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को वनों की आग की रोकथाम और लैंटाना प्रभावित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के बारे में जागरूक

करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वनों की आग न केवल वन सम्पदा बल्कि क्षेत्र की जैव विविधता, वातावरण और पारिस्थितिकी को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि गर्मियों में सूखे के दौरान वन चीड़ की पत्तियों और सूखे घास-फूस से भर जाते हैं। उन्होंने कहा कि वनों में आग के कारण न सिर्फ वन सम्पदा प्रभावित होती है बल्कि भूमि की उर्वरता के साथ-साथ जल स्त्रोतों को भी नुकसान पहुंचाता है।

मुख्यमंत्री ने वन संपदा संरक्षण और हानिकारक खरपतवार को जड़ से उखाड़ने के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आठ दिनों तक चलने वाला यह अभियान 28 मार्च को संपन्न होगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वनों के संरक्षण में जन जागरूकता के महत्व पर बल देते हुए कहा कि वन राज्य के लिए बहुमूल्य सम्पत्ति है और हर वर्ष गर्मियों के दौरान वनों में आग की घटनाएं बढ़ जाती हैं जिससे करोड़ों की वन संपदा और अन्य जीव-जंतुओं का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से इसे रोकने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जंगल की आग से पारिस्थितिकी तंत्र और अर्थव्यवस्था दोनों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। उन्होंने लोगों से इस अभियान को सफल बनाने के लिए वन विभाग को पूर्ण सहयोग देने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लैंटाना खरपतवार विशेष तौर पर राज्य के निचले क्षेत्रों में पारिस्थितिकी तंत्र को बुरी तरह प्रभावित करता है और इसमें लोगों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लैंटाना कृषि तथा वन भूमि दोनों के लिए ही हानिकारक है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लैंटाना उन्मूलन पर पोस्टर और वनों में आग पर एक पुस्तिका भी जारी की।

प्रधान मुख्य वन अरण्यपाल (एचओएफएफ) राजीव कुमार ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और अभियान की गतिविधियों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि आठ दिनों के इस अभियान के दौरान प्रचार टीम पारिस्थितिकी बहाली के अंतर्गत 48 केंद्रों तक पहुंच कर लोगों को जागरूक करेगी। इन वाहनों में लोगों को वनों में आग से निपटने के प्रति जागरूकता सामग्री उपलब्ध होगी।

मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक हरीश जनारथा, हिमाचल प्रदेश वन निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा, कैम्पा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नागेश कुमार सहित अन्य गणमान्य व वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

पहले 2000 मेगावाट का उत्पादन होगा उसके बाद दी जाएगी 300 यूनिट बिजली मुफ्त

- क्या यह गारंटी देते समय ऐसी कोई शर्त रखी गयी थी
- सरकार की ऊर्जा नीति पर उठने लगे सवाल
- अपफ्रन्ट मनी ब्याज सहित लौटानी पड़ रही है
- लेकिन संबद्ध प्रशासन में इसके लिए कोई जिम्मेदारी तय नहीं है।

शिमला/शैल। कांग्रेस ने चुनावों से पूर्व प्रदेश की जनता को जो दस गारंटीयां दी है उनमें से एक गारंटी 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की भी है। यह गारंटीयां इसलिए दी गयी थी ताकि हर आदमी के जीवन स्तर की में गुणात्मक सुधार लाया जा सके। हर आदमी की क्रय शक्ति बढ़े। इन गारंटीयों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया और कांग्रेस की सरकार बन गयी। सरकार बनने के बाद वायदे के मुताबिक प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पैन्शन योजना का लाभ मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में दे दिया गया। इसके बाद 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को जो पंद्रह सौ रूपये प्रति माह देने की गारंटी थी उसमें करीब 11 लाख महिलाएं चिन्हित हुई हैं और उन्हें चरणबद्ध तरीके से यह लाभ देने की बात कही जा रही है अर्थात कुछ महिलाओं को इसी वर्ष से यह लाभ मिलना शुरू हो जायेगा। लेकिन तीन सौ यूनिट बिजली मुफ्त देने के मामले में अब यह कहा गया है की सरकार 3 वर्षों में 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ायेगी और फिर 300 यूनिट बिजली मुफ्त बिजली उपभोक्ताओं को देगी। सरकार यह लाभ तुरन्त प्रभाव से इसलिए नहीं दे पा रही है क्योंकि उसे विरासत में एक अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं मिली है। सरकार ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ उपाय किये हैं जिनमें एक शराब के ठेकों की नीलामी की प्रक्रिया में बदलाव करना था। इस बदलाव के परिणाम सकारात्मक रहे हैं और इससे अच्छा लाभ भी मिला है।

इसी तर्ज पर एक उपाय जल विद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर लगाकर की चार हजार करोड़ की आय होने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन इस उपकर पर जिस तरह से पंजाब और हरियाणा सरकारों ने एक ही दिन अपनी अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित कर एतराज जताया है उसे स्पष्ट हो जाता है कि यह उपकर मामला एक बार अदालत में जरूर पहुंचेगा और इसके परिणाम आने में समय लगेगा। उपकर के अतिरिक्त 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। स्मरणीय है कि हिमाचल में जितनी जल विद्युत दोहन चिन्हित की गयी थी उसके आधार पर हिमाचल को उर्जा राज्य प्रचारित किया गया। इसी प्रचार पर प्रदेश में उद्योगों की आमंत्रित किया गया। 24500 मेगावाट की कुल क्षमता में से 11149 मेगावाट का दोहन किया जा चुका है। इससे प्रदेश को कर और गैर कर से इस वर्ष 2249.77 करोड़ की आय होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 680 करोड़ की आय अधिक होने का अनुमान है और यह माना जा रहा है कि इस आय का बड़ा हिस्सा बिजली की दरें बढ़ने से होगा।

प्रदेश में बिजली का उत्पादन केंद्रीय क्षेत्र संयुक्त और निजी क्षेत्र में हो रहा है। संयुक्त और केंद्रीय क्षेत्र से 12% तक मुफ्त बिजली ली जा रही है। कुल उत्पादन का करीब 46% दोहन इस क्षेत्र के पास है। निजी क्षेत्र से 30% तक मुफ्त बिजली ली जा रही है। राज्य क्षेत्र से 3800 मेगावाट की विभिन्न योजनाएं कार्यशील हैं और इनमें 12% मुफ्त बिजली का प्रावधान रखा गया है। जबकि निजी क्षेत्र में बन रही परियोजनाओं में हस्ताक्षेप अनुबंधों की अनुपालन न होने पर कोई दंडात्मक कारवाई का प्रावधान नहीं है। कडच्छम वांगतू परियोजना 1045 मेगावाट हस्ताक्षरित हुयी थी और 2021 में इसके साथ अनुपूरक अनुबंध हुआ क्योंकि इसमें 45 मेगावाट क्षमता बढ़ा ली थी। परंतु इस बढ़ौतरी पर सरकार को कोई अतिरिक्त बिजली नहीं मिल रही। अब मार्च में इसे नोटिस जारी करना पड़ा है। लेकिन बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ कोई कारवाई नहीं की गयी है। प्रदेश में स्थापित 172 परियोजनाओं में से 108 परियोजनाएं उत्पादन के बाद एलएडीएफ नहीं दे रही है क्योंकि 2009 की अधिसूचना में इसके लिए प्रावधान ही नही किया गया। 18 परियोजना निर्माताओं ने इस अधिसूचना के खिलाफ अदालत से स्टे ले रखा है। राज्य क्षेत्र में जो परियोजनाएं चल रही हैं वह वर्ष में इतना समय रिपेयर आदि के नाम पर बन्द रहती हैं कि उसी से हानि की स्थिति पैदा हो जाती है जबकि निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में रिपेयर आदि के लिए बहुत ही अल्प समय के लिए इन्हें बंद रखना पड़ता है। इसी में एक बड़ा खेल हो जाता है और किसी का ध्यान नहीं जाता। यही नहीं विद्युत ट्रांसमिशन की सारी जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर ले रखी है। इसी ट्रांसमिशन में 40% बिजली रास्ते में ही गायब हो जाती है जिसकी कीमत सरकार को चुकानी पड़ती है।

दूसरी ओर अपफ्रंटमनी की करोड़ों की देनदारी सरकार के नाम पढ़ रही है जबकि यह परियोजनाएं लगने से पहले ही इनका आबंटन रद्द हो गया। आबंटितों ने नियमानुसार इनके लिए अपफ्रंट प्रीमियम जमा करवा रखा है लेकिन प्रशासनिक सहयोग समयानुसार न मिलने के कारण योजनाएं लग नहीं पायी और आबंटन रद्द हो गये। अब यह लोग अपना – अपफ्रन्ट वापस मांग रहे हैं। अदाणी पावर से शुरू हुई यह मांग उछल डुंगर और सैली परियोजना तक पहुंच गयी है। यह कंपनियां अपफ्रंट वापस दिये जाने के आदेश अदालतों से ले चुकी है। इनकी रकमों पर ब्याज की अदायगी भी करनी पड़ रही है। एक और सरकार ऊर्जा से आय बढाने के प्रयासों में लगी है तो दूसरी और प्रशासन की नालायकी इस तरह से सरकार के प्रयासों पर भारी पड़ रही है। क्योंकि कंपनियां तो परियोजनाएं लगाने आती हैं लेकिन प्रशासन समय पर औपचारिकताएं पूरी नहीं करता है और परिणामस्वरूप परियोजनाओं का आबंटन रद्द हो जाता है और संबंधित प्रशासन की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की जाती है। ऐसे में जब तक संबंधित प्रशासन की जवाबदेही तय नहीं की जाती है तब तक उर्जा क्षेत्र से अपेक्षित लाभ मिल पाना संभव नहीं होगा। क्या सुक्खू सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर प्रशासन को जवाबदेह बना पाती है या नहीं यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस तरह की चाल अब तक प्रशासन चलता आया है उसके चलते 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की गारंटी तीन साल बाद भी पूरी होना कठिन है।

व्यवस्था परिवर्तन के शैल्टर में बैठा नगर निगम प्रशासन कहीं अराजकता का पर्याय तो नहीं

शिमला/शैल। नगर निगम शिमला के चुनाव आने वाले दिनों में कभी भी घोषित हो सकते हैं। बोर्ड के आरक्षण का रजिस्टर वायरल होकर बाहर आ गया है। विधानसभा चुनाव के बाद यह पहला चुनाव आ रहा है जहां सरकार और विपक्ष की परीक्षा होगी। कायदे से यह चुनाव बहुत पहले हो जाने चाहिये थे। नगर निगम की चयनित परिषद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इसका प्रबन्धन प्रशासक के पास है। प्रशासक जिलाधीश शिमला है। नगर निगम के आयुक्त और संयुक्त आयुक्त तथा प्रशासक सब भाजपा सरकार के कार्यकाल से चले आ रहे हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद माना जा रहा था कि नगर निगम के इस प्रशासन में भी बदलाव आयेगा। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की पक्षधर सुक्खू सरकार ने निगम प्रशासन में भी कोई बदलाव नहीं किया है। यह बदलाव न करने से यह संदेश जाता है कि सरकार इन अधिकारियों की कार्यप्रणाली से पूरी तरह संतुष्ट है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन पर उठने वाले सवालों के जवाब की जिम्मेदारी इस सरकार पर भी आ जाती है। नगर निगम शिमला के क्षेत्र में पानी की सुचारू व्यवस्था बनाने के लिए पिछली सरकार के समय 16 – 4 – 2018 को कंपनी एक्ट के तहत शिमला जल प्रबंधन निगम लि. का गठन किया गया था। इस गठन का उद्देश्य था कि शिमला में जल प्रबंधन और सीवरेज प्रबंधन में आपसी तालमेल स्थापित रहे। जिससे यह दोनों सेवाएं शिमला वासियों को सुचारू रूप से उपलब्ध हो सकें। 2015 में जब शिमला में पीलिया फैला था तब जो अध्ययन इस संबद्ध में किये गये थे उनके परिणाम स्वरूप इस तरह की संस्था के गठन की आवश्यकता समझी गई थी। यह माना गया था कि इसने इसमें कुछ विषय विशेषज्ञों की सेवाएं ली जायेंगी। लेकिन व्यवहार में यह संस्था सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों की शरण स्थली बनकर रह गयी है। बल्कि विधानसभा चुनावों को सामने रखते हुये मई 2022 से सेवानिवृत्त अधिकारियों को ही इस में भर्ती करने का रास्ता अपनाया गया जब सुक्खू सरकार ने पिछली सरकार के कुछ फैसलों को बदलने का फैसला लिया तो उसमें इस तरह की नियुक्तियां भी शामिल थी। मेडिकल कॉलेज को छोड़कर शेष सभी जगह ऐसी भर्ती किये गये लोगों को तुरन्त प्रभाव से हटाने के लिये 12 – 12 – 2022 को पत्र लिखा गया था। लेकिन इस पत्र की अनुपालन में एसजेपीएनएल ने यह कहकर नहीं हटाया की इन लोगों की सेवाएं तकनीकी आधार पर आवश्यक हैं और एसजेपीएनएल के इस आग्रह को मान लिया गया। इससे दस सेवानिवृत्त अधिकारियों को मिला पुन: रोजगार बहाल रह गया। शिमला जल प्रबंधन को लेकर पूर्व महापौर टिकेन्दर पंवर पूर्व जयराम सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। टिकेन्दर पंवर ने इस संबध में मुख्यमंत्री सुक्खू को भी पत्र लिखा है जिसका जवाब नहीं आया है। अब जो रोस्टर वायरल हुआ है उसने भी यह आरोप लगना शुरु हो गया है कि इसमें स्थानिय विधायक हरीश जनारथा को सुनियोजित तरीके से कमजोर करने का प्रयास किया गया है। स्वभाविक है कि यह रोस्टर तैयार करने में निगम प्रशासन की बड़ी भूमिका रही है। यह कहा जा रहा है कि प्रशासन पुराने मालिकों के प्रति अपनी पूरी वफादारी निभा रहा है जो चुनाव में रंग दिखायेगी।